



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29655

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2343/2026

राज कुमार.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : शिव प्रकाश

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उन्हें यह रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।
2. रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि याची को समान वाद कारण पर नई रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। यह आदेश विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में पारित किया गया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

10 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"